न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **इन्द्रजीत सिंह**, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 39/2016 (नि.पं.)
पंजीयन दिनांक 14.12.2016

प्रेम बाई पुत्री राधुजी पत्नि देव किशन खटीक, निवासी सतखण्डा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–निगराकार

बनाम

1–मोडी बाई पत्नि नंदाजी खटीक निवासी सतखण्डा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–ग्राम पंचायत सतखण्डा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सतखण्डा, पंचायत समिति, निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–विपक्षीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम 1994 विरूद्ध आदेश दिनांक 07.06.1999 पट्टा संख्या 125 द्वारा ग्राम पंचायत सतखण्डा

उपस्थिति : 1– श्री राजेन्द्र सिंह चुण्डावत, अधिवक्ता निगराकार

निर्णय

दिनांक 19.12.2017

निगराकार द्वारा यह निगरानी इस आशय की प्रस्तुत की गई है कि ग्राम पंचायत सतखण्डा द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 125 दिनांक 07.06.1999 न्याय नियम एवं वाकियाती तथ्यों के विपरीत अनियमितितापूर्ण कार्यवाही कर जारी किया गया है जो कि कानून के विपरीत होकर निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर पट्टा निरस्त फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। ग्राम पंचायत सतखण्डा से पट्टे से संबंधित पत्रावली/रेकार्ड तलब किया गया। तलबीदा पत्रावली के संबंध में ग्राम पंचायत सतखण्डा का पत्रांक/ग्रा.पं./सतखण्डा/2016–17/144 दिनांक 06.04.2017 प्राप्त हुआ कि उक्त पट्टे से संबंधित कोई भी पत्रावली/रेकॉर्ड तथा पट्टा बूक ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। पत्र शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री बसन्तीलाल पोखरना ने अधिकार पत्र पेश किया। विपक्षी संख्या 2 बावजूद सूचना

के अनुपस्थित। पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 के जवाब प्रस्तुत नहीं करने से तथा उसके पश्चात् बावजूद सूचना के उनके उपस्थित नहीं होने से बहस प्रकरण अधिवक्ता निगराकार सुन प्रकरण गुणावगुण के आधार पर देखा गया।

निगराकार के अधिवक्ता ने निगरानी मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी संख्या 1 के नाम पर जो पट्टा संख्या 125 जारी किया गया है पट्टा जारी किये जाने से पूर्व पंचायत का अनुमोदन नहीं लिया गया एवं पट्टे पर ग्राम पंचायत की मुहर भी लगी हुई नहीं है। ग्राम पंचायत में उक्त पट्टे से संबंधित कोई रेकार्ड उपलब्ध नहीं है। पट्टा जारी करने से पूर्व उक्त भूखण्ड बाबत किसी प्रकार की पर्चा मौका रिपोर्ट नहीं मंगाई गई है तथा न ही 03 सदस्यीय वार्ड पंचों की कोई कमेटी बनाई है तथा नियमानुसार कोई आपत्ति बाबत नोटिस भी जारी नहीं किया गया ना ही कोई सार्वजनिक सूचना जारी की गई किसी प्रकार की कोई विधिक प्रकिया नहीं अपना कर अनुचित तरीके से तत्कालिन सरपंच द्वारा सारे नियमों को ताक में रखकर अपने पद का दुरूपयोग कर वैधानिक प्रकिया अपनाए बगैर अपने चहेते को लाभ पहुंचाने की नियत से मात्र कागजों में नीलामी बताकर पट्टा जारी किया है। पट्टा फीस में भी कांट-छांट होकर उक्त पट्टा पूर्णतया फर्जी व बनावटी होने से निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत सतखण्डा द्वारा जारी पट्टा संख्या 125 दिनांक 07.06.1999 निरस्त फरमाया जावे।

हमने अधिवक्ता निगराकार की बहस पर मनन कर, पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया। ग्राम पंचायत से पट्टे से संबंधित पत्रावली तलब करने पर ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टे से संबंधित पत्रावली/रेकॉर्ड तथा पट्टा बूक पंचायत में उपलब्ध नही होना बताया है।

निगराकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अन्तर्गत आबादी भूमि के विक्रय विलेख संख्या 125 दिनांक 07.06.1999 का अवलोकन करने से भी स्पष्ट है कि उक्त विक्रय विलेख में आज्ञा संख्या एवं दिनांक आदि के कॉलम/रिक्त स्थान पर कहीं कोई अंकन नहीं करके उन्हें रिक्त छोड़ा गया है। नीलामी राशि में कांट-छांट है तथा केता द्वारा विकेता के खाते में नीलामी राशि रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 15 पर दिनांक 09.08.1995 को ही जमा कराने का अंकन किया हुआ है जबकि नीलामी दिनांक के कॉलम में, दिनांक 23.01.1999 को उक्त भूखण्ड की नीलामी होना एवं केता/विपक्षी द्वारा नीलामी की बोली लगाना अंकित है तथा विक्रय-विलेख में ना तो केता के हस्ताक्षर हैं और ना ही किसी साक्षी के हस्ताक्षर किये हुए हैं। नक्शा नवीस व सचिव के हस्ताक्षर भी नहीं करवाये गये हैं विक्रय-विलेख पर मात्र सरपंच के हस्ताक्षर कर उक्त विक्रय-विलेख जारी किया गया है जो कि प्रथम दृश्टया राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के प्रचलित नियमों व प्रावधानों के विपरीत एवं अधिकारिता से परे जाकर तत्कालिन सरपंच द्वारा विपक्षी संख्या 1 को नाजायज लाभ पहुंचाने की नियत से जारी करना प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत सतखण्डा द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा कमांक 125 दिनांक 07.06.1999 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत सतखण्डा को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त तथ्यों के संबंध में राजस्थान पंचायतराज अधिनियम के तहत पुनः जांच कर प्रचलित प्रावधानों के तहत सभी पक्षकारान को सुना जाकर पुनः नए सिरे से पट्टा जारी करने की कार्यवाही करे।

'निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।'

(इन्द्रजीत सिंह)